

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक-वसूली/राआम/2020-21/71/498

दिनांक : 26/10/2020

कार्यालय आदेश

मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक-सीआरओ/राआम/2020-21/162 दिनांक 07.10.2020 एवम् क्रमांक-वसूली/राआम/2020-21/71/481 दिनांक 07.10.2020 के अतिक्रमण में नीलामी/ई-सबमिशन/ई-ऑक्शन/बुधवार उत्सव नीलामी/खुली बिक्री/नकद भुगतान/किराया क्रय पद्धति के तहत विक्रय की गयी सभी प्रकार की सम्पत्तियों की मांग पत्र मे दर्शायी गयी वांछित पूर्ण अथवा आंशिक राशि जमा कराने की दिनांक 15.03.2020 के पश्चात् की है उनकी जमा कराने की तिथि 30.09.2020 तक बढ़ायी गयी थी। निर्देशानुसार उपरोक्त सभी प्रकरणों में बकाया राशि जमा कराने की अवधि 31.12.2020 तक बिना ब्याज के बढ़ायी जाती है।


मासिक किश्त पर आवंटित सम्पत्तियों की माह अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक की मासिक किस्ते जमा कराने की अवधि भी दिनांक 31.12.2020 तक बिना ब्याज/शास्ति के बढ़ायी जाती है।

उक्त आदेश संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा मे जारी किया जा रहा है।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव-मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
8. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी _____, रा.आ.मं. जयपुर।
11. उप आवासन आयुक्त, वृत्त _____, रा.आ.मं., _____।
12. आवासीय अभियन्ता, खण्ड _____ रा.आ.मं., _____।
13. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. लेखाधिकारी, वृत्त _____, रा.आ.मं., _____।
15. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मं., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की बेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
16. कार्यालय आदेश/रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार